

क्रमांक :- बं.शा./जयपुर/27/2021/23505-07

दिनांक :- 26/7/21

रजिस्ट्रार (न्यायिक),  
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,  
खण्डपीठ जयपुर।

विषय:- डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 1030/2021 मनोज  
कुमार बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2021  
प्रसंग :-आपका पृष्ठांकन क्रमांक 9406 दिनांक 05.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि वर्तमान में खुला बंदी शिविर, सीकर एवं झुंझुनूं में आवासगृह रिक्त नहीं है, खुला बंदी शिविर, बीछवाल के दण्डित बंदी मनोज कुमार पुत्र बनारसी लाल का स्थानांतरण खुला बंदी शिविर, सीकर/झुंझुनूं हेतु लंबित है।

उक्त बंदी का स्थानांतरण खुला बंदी शिविर, सीकर हेतु वरियता में पहला एवं खुला बंदी शिविर, झुंझुनूं हेतु छठा स्थान है।

अतः खुला बंदी शिविर, सीकर/झुंझुनूं में आवासगृह रिक्त होने पर बंदी का स्थानांतरण वरियतानुसार किया जायेगा।  
सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(विक्रमसिंह)

महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर को उनके यू. ओ.नोट क्रमांक 23785 दिनांक 09.07.2021 के संदर्भ में।
2. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर को उनके पत्रांक 10979-80 दिनांक 13.07.2021 के संदर्भ में।

महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर।